

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 अप्रैल, 2016

सा.का.नि. 404(अ).—केंद्रीय सरकार कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 467 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम की अनुसूची III में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

2. कंपनी अधिनियम, 2013 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की अनुसूची III में कंपनी का तुलनपत्र और लाभ-हानि विवरण तैयार करने के लिए सामान्य निर्देश शीर्षक के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

“प्रभाग-I

किसी कंपनी के वित्तीय विवरण जिसके वित्तीय विवरण कंपनी (लेखांकन मानक) नियम, 2006 के अनुसरण में होने अपेक्षित हैं।

किसी कंपनी के तुलनपत्र और लाभ-हानि विवरण को तैयार करने के लिए सामान्य अनुदेश

3. मूल अधिनियम की अनुसूची III में अंत में निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

प्रभाग-II

किसी कंपनी के वित्तीय विवरण जिसके वित्तीय विवरण कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 और समय-समय पर यथासंशोधित के अनुसार तैयार किए जाते हैं।

भारतीय लेखांकन मानकों (इंडिएएस) का अनुपालन करते हुए वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए सामान्य निर्देश

1. प्रत्येक कंपनी जिसको भारतीय लेखांकन मानक लागू होते हैं, अपने वित्तीय विवरण इस अनुसूची के अनुसार या कतिपय परिस्थितियों में यथासंभव ऐसे संशोधनों के अनुसार तैयार करेगी।
2. यदि किसी कंपनी के लिए लागू भारतीय लेखांकन मानक सहित अधिनियम की अपेक्षाओं का अनुपालन (सुसंगत इंडिएस द्वारा विहित द्रव्यता के क्रम में आस्तियों और दायित्वों को दर्शाने के विकल्प को छोड़कर) करने में वित्तीय विवरणों या इसके किसी भाग के विवरणों में शीर्ष अथवा उपशीर्ष में कोई परिवर्धन, संशोधन, प्रतिस्थापन या लोप सहित व्यवहार या प्रकटीकरण अथवा परस्पर कोई संशोधन या परिवर्तन अपेक्षित हो तो वह किया जाएगा और इस अनुसूची के अधीन अपेक्षाएं तदनुसार संशोधित मानी जाएंगी।
3. इस अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्रकटीकरण अपेक्षाएं भारतीय लेखांकन मानकों में विनिर्दिष्ट प्रकटीकरण अपेक्षाओं को प्रतिस्थापित करते हुए नहीं बल्कि उनमें जोड़ते हुए हैं। भारतीय लेखांकन मानकों में विनिर्दिष्ट अतिरिक्त प्रकटीकरण टिप्पणी या अतिरिक्त विवरण अथवा विवरणों द्वारा किया जाएगा जब तक कि वित्तीय विवरणों के मुख्य पृष्ठ पर प्रकटीकरण करना अपेक्षित न हो। इसी प्रकार कंपनी अधिनियम में यथाअपेक्षित अन्य सभी प्रकटीकरण इस अनुसूची में निर्धारित अपेक्षाओं के अतिरिक्त टिप्पणियों में किए जाएंगे।
4. (i) टिप्पणियों में वही सूचना दी जाएगी जो वित्तीय विवरणों में प्रस्तुत न की गई हो और इसमें जहां अपेक्षित हो - (क) व्याख्यात्मक वर्णन या इन विवरणों में प्रकट की गई मदों का विभाजन और (ख) उन मदों के बारे में सूचना जिन्हें इन विवरणों में प्रकट न किया गया हो, दी जाएगी।
(ii) तुलनपत्र, साम्या में परिवर्तन के विवरण और लाभ-हानि विवरण के मुख्य पृष्ठ की प्रत्येक मद को टिप्पणियों में किसी प्रासंगिक सूचना से अन्योन्य निर्दिष्ट किया जाएगा। टिप्पणियों सहित वित्तीय विवरण तैयार करने में अतिरिक्त विवरण, जो वित्तीय विवरण के प्रयोक्ताओं को सहायता न करे और बहुत अधिक एकीकरण करने के परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण सूचना न देने के बीच संतुलन रखा जाएगा।
5. कंपनी के आवर्त के आधार पर वित्तीय विवरणों में दर्शाए जाने वाले आंकड़े निम्नलिखित प्रकार से पूर्णांकित किए जाएंगे -

आवर्त

पूर्णांकित करना

- | | |
|-------------------------------|---|
| (i) सौ करोड़ रुपए से कम | निकटतम सैंकड़ा, हजार, लाख या मिलियन या उसका दशमलव |
| (ii) एक सौ करोड़ रुपए या अधिक | निकटतम लाख, मिलियन या करोड़ या उसका दशमलव |

एक बार किसी माप की इकाई का उपयोग किए जाने पर वित्तीय विवरण में उसका ही एकसमान रूप से उपयोग किया जाएगा।

6. निगमन के बाद कंपनी के समक्ष रखे जाने वाले पहले वित्तीय विवरण को छोड़कर तत्काल पहले की सूचना भी अवधि के लिए टिप्पणियों सहित वित्तीय विवरणों में दर्शाई गई सभी मदों के लिए तत्स्थायी रकम (तुलनात्मक) होनी चाहिए।
 7. वित्तीय विवरणों में सभी 'भौतिक' मदों अर्थात् जो मदें अलग से या सामुहिक रूप से उन आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करती हैं जिनका प्रयोक्ताओं द्वारा वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोग किया जाता है, प्रकट की जाएंगी। भौतिकता का निर्णय विशेष परिस्थितियों में मद के आकार या प्रकृति या दोनों को मिलाकर किया जाएगा।
 8. इस अनुसूची के प्रयोजन के लिए इसमें प्रयुक्त पदों का वही अर्थ होगा जो भारतीय लेखांकन मानकों में उनका है।
 9. यदि किसी कंपनी के एकमात्र वित्तीय विवरण में किए जाने वाले विशेष प्रकटीकरणों के लिए कोई अधिनियम या नियम के अंतर्गत अपेक्षा हो तो ऐसे प्रकटीकरण इस अनुसूची के अंतर्गत अपेक्षित प्रकटीकरणों के अलावा किए जाएंगे।
- टिप्पण: अनुसूची में वित्तीय विवरणों जहां लागू हों अर्थात् तुलन-पत्र, अवधि के लिए साम्या में परिवर्तनों का विवरण अवधि के लिए लाभ और हानि विवरण में परिवर्तन ('लाभ और हानि' पद का वही अर्थ है जो 'लाभ और हानि' पद का है) और टिप्पणियां, रोकड़ प्रवाह विवरण सुसंगत भारतीय लेखांकन मानक की अपेक्षाओं के अनुसार तैयार किए जाएंगे।
- लाइन मद, उप लाइन मद और उपयोग को वर्धन क रूप में या वित्तीय विवरणियों को देखते हुए प्रतिस्थापन के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा जब ऐसा प्रस्तुतीकरण कंपनी की वित्तीय प्रस्तुति या निष्पादन का उद्योग की सेवार्थ या सेंटर विनिर्दिष्ट प्रकटन अपेक्षाओं से सुसंगत हो या एक कंपनी अधिनियम, 2013 के संशोधनों के अनुपालन करने या भारतीय लेखांकन मानकों द्वारा अपेक्षित है।

भाग-I-तुलनपत्र

कंपनी का नाम

तुलनपत्र की स्थिति के अनुसार

(..... रूप में)

	विविधियां	टिप्पण संख्या	वर्तमान रिपोर्टाधीन अवधि के अंत तक आंकड़े	पूर्व रिपोर्टाधीन अवधि के अंत तक आंकड़े
	1	2	3	4
(1)	आस्तियां			
(2)	गैर चालू आस्तियां (क) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (ख) चालू पूंजीगत कार्य (ग) विनिधान संपत्ति (घ) साख (ङ) अन्य अमूर्त आस्तियां (च) विकासाधीन अमूर्त आस्तियां (छ) धारक पादपों से भिन्न जैविक आस्तियां (ज) वित्तीय आस्तियां (i) विनिधान (ii) व्यापार प्राप्य (iii) ऋण (iv) अन्य (विनिर्दिष्ट करें) (झ) अस्थगित कर आस्तियां (निवल) (ञ) अन्य गैर चालू आस्तियां चालू आस्तियां (क) माल सूची/यां (ख) वित्तीय आस्तियां (i) विनिधान (ii) व्यापार प्राप्य (iii) नकद और नकद के समकक्ष (iv) उपर्युक्त (iii) के अलावा बैंक शेष (v) ऋण (vi) अन्य (उल्लेख करें) (ग) चालू कर आस्तियां (निवल) (घ) अन्य चालू आस्तियां			
	कुल आस्तियां			

(1)	साम्या और दायित्व			
(2)	साम्या (क) साम्या शेयरपूजी (ख) अन्य साम्या दायित्व गैर चालू दायित्व (क) वित्तीय दायित्व (i) ऋण (ii) व्यवसाय भुगतान (iii) अन्य वित्तीय दायित्व (निम्नलिखित मद (ख) में विनिर्दिष्ट के अलावा हों तो उल्लेख करें) (ख) उपबंध (ग) अस्थगित ऋण दायित्व (निवल) (घ) अन्य गैर चालू दायित्व चालू दायित्व (क) वित्तीय दायित्व (i) ऋण (ii) व्यवसाय भुगतान (iii) अन्य वित्तीय दायित्व (निम्नलिखित मद (ग) में विनिर्दिष्ट के अलावा हों तो उल्लेख करें) (ख) अन्य चालू दायित्व (ग) उपबंध (घ) चालू कर दायित्व (निवल)			
	कुल साम्या और दायित्व			

वित्तीय विवरणों के साथ संलग्न टिप्पणियाँ देखें।

साम्या में परिवर्तन का विवरण

कंपनी का नाम

..... को समाप्त अवधि के लिए साम्या में परिवर्तन का विवरण

क. साम्या शेयरपूजी

रिपोर्टधीन अवधि के प्रारंभ में बकाया शेष	वर्ष के दौरान साम्या शेयरपूजी में परिवर्तन	रिपोर्टधीन अवधि के अंत तक बकाया शेष

ख. अन्य साम्या

आवंटन के लिए लंबित शेयर आवेदन राशि	मिश्रित वित्तीय लिखत का साम्या घटक	आरक्षित और अधिक्थ										शेयर अधिपत्र के प्रति प्राप्त धनराशि	योग
		पूजी आरक्षित	प्रतिभूति प्रीमियम आरक्षित	अन्य आरक्षित का (प्रकार उल्लेख करें)	प्रतिधारण आय	अन्य व्यापक आय के माध्यम से ऋण लिखत	अन्य व्यापक आय के माध्यम से साम्या	कैश फ्लो सीमा का प्रभावी हिस्सा	पुनः मूल्यांकन अधिक्थ	किसी विदेशी कंपनी के वित्तीय विवरण का	अन्य व्यापक आय की अन्य मदें (प्रकार		

								लिखत			अनुवाद करने पर मुद्रा अंतर	का उल्लेख करें)		
रिपोर्टाधीन अवधि के प्रारंभ में बकाया शेष														
लेखांकन नीति में परिवर्तन अथवा अवधि से पहले की गृहियां														
रिपोर्टाधीन अवधि के प्रारंभ में पुनः उल्लिखित बकाया शेष														
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय														
लाभांश														
प्रतिधारण आय में अंतरण														
अन्य कोई परिवर्तन (उल्लेख करें)														
रिपोर्टाधीन अवधि के अंत में बकाया शेष														

टिप्पण: लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर निर्धारित वित्तीय दायित्वों के अपने ऋण जोखिम से संबंधित निर्धारित लाभ योजनाओं और उचित मूल्य परिवर्तनों का पुनः मापन को प्रतिधारण आय का ही एक भाग माना जाएगा और टिप्पणियों में संबंधित धनराशि के साथ ऐसी मदों के लिए अलग से प्रकटीकरण किया जाएगा।

टिप्पणियां

तुलन-पत्र तैयार करने के लिए सामान्य अनुदेश

1. किसी आस्ति को चालू रूप में वर्गीकृत किया जाएगा जब-

- इसे कंपनी के सामान्य प्रचालन चक्र में वसूल करने की प्रत्याशा की जाती है या विक्रय या उपयोग करने के लिए आशयित है।
- वह आस्ति को मूल रूप से व्यापार के उद्देश्य से रखता हो;
- इसे रिपोर्ट की जाने वाली अवधि के पश्चात् बारह माह के भीतर वसूल करने की प्रत्याशा की जाती है; और
- यह रोकड़ या रोकड़ के समतुल्य है जब तक यह परिवर्तन करने के लिए या रिपोर्ट किए जाने वाली तारीख के पश्चात् कम से कम बारह मास के लिए दायित्व के निबटान का प्रयोग करने के लिए प्रतिबंधित है।

अन्य सभी आस्तियां अनावर्ती रूप में वर्गीकृत होंगी।

2. प्रचालन चक्र रोकड़ या समतुल्य रोकड़ में उनके वसूले जाने और प्रसंस्करण के लिए आस्तियों के अर्जन के मध्य का समय है। जहां सामान्य प्रचालन चक्र दर्शित नहीं किया जा सकता है, यह बारह मास की अवधि होगी।

3. दायित्व चालू रूप में वर्गीकृत होगा जब.-

(क) इसे सामान्य प्रचालन चक्र में निपटाए जाने की प्रत्याशा की जाती है।

(ख) यह व्यापार किए जाने के उद्देश्य से धारित है।

(ग) इसे रिपोर्ट किए जाने वाली तारीख के पश्चात् बारह मास के भीतर निपटाया जाना शोध्य है या

(घ) कंपनी रिपोर्ट की जाने वाली तारीख के पश्चात् कम से कम बारह मास के लिए दायित्व के निपटान से भिन्न अशर्त अधिकार रखती है। दायित्व के निबंधन जो कि प्रतिलेखन के विकल्प पर साम्या लिखत के मुद्दे इसके वर्गीकरण को प्रभावी नहीं करते, के द्वारा इसके निपटान के परिणाम हो सकता है।

अन्य सभी दायित्व अनावर्ती रूप में वर्गीकृत होंगे।

4. प्राप्ति "व्यापार में लिए जाने योग्य के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा यदि यह बेचे गए माल के लेखा पर शोध्य रकम या कारबार के सामान्य अनुक्रम में दी जाने वाली सेवाओं के संबंध में है"।

5. संदाय "सदेय व्यापार" के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा यदि वह खरीदे गए माल के लेखा पर शोध्य रकम या कारबार के सामान्य अनुक्रम में प्राप्त की गई सेवाओं के संबंध में है।

6. कंपनी लेखाओं की टिप्पणियों में निम्नलिखित प्रकट करेगी-

क. गैर चालू आस्तियां

I. संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर

(i) वर्गीकरण निम्नानुसार किया जाएगा-

(क) भूमि

(ख) भवन

(ग) परियोजना और उपस्कर

(घ) फर्नीचर और फिक्सचर

(ङ) यान

(च) कार्यालय उपस्कर

(छ) वाहक परियोजना

(ज) अन्य (प्रकृति विनिर्दिष्ट करें)

(ii) पट्टे की आस्तियों को आस्तियों की प्रत्येक श्रेणी के अंतर्गत पृथक रूप से वर्गीकृत किया जाएगा।

(iii) रिपोर्टिंग अवधि के प्रारंभ और अंत में व्यापार समन्वय और अन्य समझौतों द्वारा योग, निपटान अधिग्रहण दर्शाने वाला प्रत्येक श्रेणी की आस्तियों की कुल और निवल राशि का एक समन्वय और संबंधित अवमूल्यन और क्षति नुकसान/निराकरण को पृथक रूप से प्रकट किया जाएगा।

II. विनिधान संपत्ति

रिपोर्टिंग अवधि के प्रारंभ और अंत में व्यापार समन्वय और अन्य समझौतों द्वारा योग, निपटान अधिग्रहण दर्शाने वाला प्रत्येक श्रेणी की आस्तियों की कुल और निवल राशि का एक समन्वय और संबंधित अवमूल्यन और क्षति नुकसान/निराकरण को पृथक रूप से प्रकट किया जाएगा।

III. सदभाव

रिपोर्टिंग अवधि के प्रारंभ और अंत में सद्भावना की कुल और निवल राशि का योग, नुकसान निपटान और अन्य समझौतों को दर्शाने वाला एक समन्वय।

IV. अन्य अमूर्त आस्तियां

(i) वर्गीकरण निम्नानुसार किया जाएगा-

- (क) ब्रांड/ट्रेडमार्क
- (ख) कंप्यूटर सॉफ्टवेयर
- (ग) मस्तूल शिखर और प्रकाशन शीर्षक
- (घ) खनन अधिकार
- (ङ) प्रतिलिप्याधिकार, पेटेंट, अन्य बौद्धिक संपदा अधिकार, सेवाएं और प्रचालन अधिकार
- (च) नुस्खे, सूत्र, मॉडल, डिजाइन और प्रोटोटाइप।
- (छ) अनुज्ञप्तियां और फ्रेंचाइज
- (ज) अन्य (प्रकार का उल्लेख करें)

(ii) रिपोर्टिंग अवधि के प्रारंभ और अंत पर कारबार संयोजन और योग, निपटान अधिग्रहण अन्य समायोजनों तथा संबंधित अपाकरण और क्षति नुकसानी/प्रतिक्रय के माध्यम से जोड़ निपटाना, अर्जन दर्शित करने वाले प्रत्येक वर्ग की आस्तियों की सकल और कुल रकमों का समन्वय।

V. वाहक परियोजना के अतिरिक्त जैविक आस्तियां

रिपोर्टिंग अवधि के प्रारंभ और अंत में व्यापार समन्वय और अन्य समझौतों द्वारा योग, निपटान, अधिग्रहण दर्शाने वाला प्रत्येक श्रेणी की आस्तियों की राशि का एक समन्वय को पृथक रूप से प्रकट किया जाएगा।

VI. विनिधान

(i) विनिधानों को निम्नानुसार वर्गीकृत किया जाएगा-

- (क) साम्या लिखतों में विनिधान;
- (ख) अधिमान शेयरों में विनिधान;
- (ग) सरकारी न्यास प्रतिभूतियों में विनिधान
- (घ) डिबेंचरों या बंधपत्रों में विनिधान
- (ङ) पारस्परिक निधियों में विनिधान
- (च) भागीदारी फर्मों में विनिधान
- (छ) अन्य विनिधान (प्रकृति विनिर्दिष्ट करें)

प्रत्येक वर्गीकरण के अधीन निगमित निकायों के नामों के ब्यौरे यह दर्शाते हुए कि क्या ऐसे निकाय (i) समनुषंगी (ii) सहयोगी (iii) संयुक्त उपक्रम या (iv) संरचित उपक्रम हैं जिसमें विनिधान किया गया है और ऐसे प्रत्येक निगमित में (उन विनिधानों को पृथक रूप से दर्शित करते हुए जो भागत संदत्त है) भागीदारी फर्मों में विनिधान में फर्मों के नाम उनके भागीदारों के नाम, कुल पूंजी और प्रत्येक भागीदार के शेयरों के साथ पृथक रूप से दिए जाएंगे।

(ii) निम्नलिखित का भी प्रकटीकरण किया जाएगा-

- (क) कोट किए गए विनिधानों की सकल राशि और उसका बाजार मूल्य;
- (ख) कोट नहीं किए गए विनिधानों की सकल रकम; और
- (ग) विनिधान के मूल्य में हानि की औसत राशि;

VII. व्यापार प्राप्तियां

(i) व्यापार प्राप्तियां निम्नानुसार उप वर्गीकृत किए जाएंगे.-

- (क) प्रतिभूत अच्छा समझा गया
- (ख) अप्रतिभूत अच्छा समझा गया
- (ग) शंकास्पद।
- (ii) अप्राप्य और शंकास्पद ऋणों के लिए भत्ते को सुसंगत शीर्षों के तहत पृथक रूप से प्रकटीकरण किया जाएगा।
- (iii) कंपनी के निदेशकों या अन्य अधिकारियों द्वारा या उनमें से कोई भी अकेले या अन्य किसी व्यक्ति के साथ सामूहिक रूप से अथवा फर्मों या निजी कंपनियों जिसमें क्रमशः कोई निदेशक साझेदार है या एक निदेशक या सदस्य द्वारा बकाया ऋण का अलग से उल्लेख किया जाएगा।

VIII. उधार

- (i) उधारों को निम्नानुसार वर्गीकृत किया जाएगा.-
- (क) प्रतिभूति जमाएं;
- (ख) संबंधित पक्षों को उधार (उसका विवरण देते हुए) ;
- (ग) अन्य उधार (प्रकार का उल्लेख करें)
- (ii) उपर्युक्त को भी पृथक रूप से निम्नानुसार उप वर्गीकृत किया जाएगा-
- (क) प्रतिभूत, अच्छा समझा गया;
- (ख) अप्रतिभूत, अच्छा समझा गया;
- (ग) शंकास्पद।
- (iii) अप्राप्य और शंकास्पद ऋणों के लिए भत्ते को सुसंगत शीर्षों के तहत पृथक रूप से प्रकटीकरण किया जाएगा।
- (iv) कंपनी के निदेशकों या अन्य अधिकारियों द्वारा या उनमें से कोई भी अकेले या अन्य किसी व्यक्ति के साथ सामूहिक रूप से उधार अथवा फर्मों या निजी कंपनियों जिसमें क्रमशः कोई निदेशक साझेदार है या एक निदेशक या सदस्य द्वारा बकाया राशि का अलग से उल्लेख किया जाएगा।

IX. बारह महीनों से अधिक परिपक्व बैंक जमाओं का 'अन्य वित्तीय आस्तियां' के अंतर्गत प्रकटीकरण किया जाएगा;

X. अन्य गैर चालू आस्तियां: अन्य गैर चालू आस्तियां निम्नानुसार वर्गीकृत की जाएंगी-

- (i) पूंजी अग्रिम; अथवा
- (ii) पूंजी अग्रिम के अलावा अग्रिम
1. पूंजी अग्रिम के अलावा अग्रिमों को निम्नानुसार वर्गीकृत किया जाएगा-
- (क) प्रतिभूति जमाएं;
- (ख) संबंधित पक्षों को अग्रिम (उसका विवरण देते हुए) ;
- (ग) अन्य अग्रिम (प्रकार का उल्लेख करें)
2. कंपनी के निदेशकों अथवा अन्य अधिकारियों अथवा उनमें से किसी को एकल रूप में अथवा अन्य व्यक्तियों के साथ संयुक्त रूप से दिया गया अग्रिम अथवा फर्मों या प्राइवेट कंपनियों जिसमें कोई निदेशक क्रमशः भागीदार अथवा कोई निदेशक अथवा सदस्य है, को अग्रिम अलग से कथित की जाए, यदि ऐसे अग्रिम संगत भारतीय लेखा मानक के अनुसार किसी वित्तीय आस्ति की प्रकृति के हैं, और इन्हें उनकी वित्तीय आस्तियों के अधीन अलग से प्रकट किया जाए।
- (iii) अन्य (प्रकार का उल्लेख करें)

(ख) चालू आस्तियां

1. माल सूची

(i) माल सूची निम्नानुसार वर्गीकृत की जाएगी-

- (क) कच्चा माल;
- (ख) चालू कार्य;
- (ग) तैयार माल;
- (घ) भंडार माल (व्यापार के लिए उपार्जित माल के संबंध में);
- (ङ) भंडारण और अतिरिक्त;
- (च) फुटकर औजार;
- (छ) अन्य (प्रकार का उल्लेख करें)

(ii) मार्गस्थ माल का माल सूची के सुसंगत उप शीर्ष के अंतर्गत प्रकटीकरण किया जाएगा।

(iii) मूल्यांकन के तरीके का उल्लेख किया जाएगा।

II. विनिधान

(i) विनिधान निम्नानुसार वर्गीकृत किया जाएगा-

- (क) साम्या लिखतों में विनिधान;
- (ख) अधिमान शेषों में विनिधान;
- (ग) सरकारी या न्यास प्रतिभूतियों में विनिधान
- (घ) डिबेंचरों या बंधपत्रों में विनिधान
- (ङ) पारस्परिक निधियों में विनिधान
- (च) भागीदारी फर्मों में विनिधान
- (छ) अन्य विनिधान (प्रकृति विनिर्दिष्ट करें)

प्रत्येक वर्गीकरण के अंतर्गत जिनमें विनिधान किया गया है उन कारपोरेट निकायों के नामों, (i) समनुषंगियां, (ii) सहायक, (iii) संयुक्त उद्यम, या (iv) संरचित उपक्रम का विवरण और प्रत्येक कारपोरेट निकाय में इस तरह किए गए विनिधान का प्रकार और सीमा का विवरण (आंशिक रूप से चुकता विनिधान को पृथक रूप से दर्शाते हुए) दिया जाएगा। साझेदारी फर्म में विनिधानों का प्रकटीकरण फर्मों के नामों, उनके साझेदारों कुल पूंजी और प्रत्येक साझेदार के शेषों सहित किया जाएगा।

(ii) निम्नलिखित का भी प्रकटीकरण किया जाएगा-

- (क) कोट किए गए विनिधानों की सकल राशि और उसका बाजार मूल्य;
- (ख) कोट नहीं किए गए विनिधानों की सकल रकम; और
- (ग) विनिधान के मूल्य में हानि की औसत राशि;

III. व्यापार प्राप्तियां

(i) व्यापार प्राप्तियां निम्नानुसार उप वर्गीकृत किए जाएंगे.-

- (क) प्रतिभूत अच्छा समझा गया
- (ख) अप्रतिभूत अच्छा समझा गया
- (ग) शंकास्पद।

(ii) डूबंत और संदेहपूर्ण ऋणों के लिए छूट का संबंधित शीर्षों के तहत पृथक रूप से प्रकटीकरण किया जाएगा।

- (iii) कंपनी के निदेशकों या अन्य अधिकारियों द्वारा या उनमें से कोई भी अकेले या अन्य किसी व्यक्ति के साथ सामूहिक रूप से बकाया ऋण अथवा फर्मों या निजी कंपनियों जिसमें क्रमशः कोई निदेशक साझेदार है या एक निदेशक या सदस्य द्वारा बकाया ऋण का अलग से उल्लेख किया जाएगा।

IV. नकद और नकद समतुल्य: नकद और नकद समतुल्य निम्नानुसार वर्गीकृत किए जाएंगे-

- (क) बैंकों में अधिशेष (नकद और नकद समतुल्य);
 (ख) हस्तगत चैक, ड्रॉफ्ट
 (ग) हस्तगत नकद
 (घ) अन्य (प्रकृति विनिर्दिष्ट करें)

V. उधार

- (i) उधारों को निम्नानुसार वर्गीकृत किया जाएगा.-

- (क) प्रतिभूति जमाएं;
 (ख) संबंधित पक्षों को उधार (उसका विवरण देते हुए) ; और
 (ग) अन्य उधार (प्रकृति विनिर्दिष्ट करें)

- (ii) उपर्युक्त को भी पृथक रूप से निम्नानुसार उप वर्गीकृत किया जाएगा.-

- (क) प्रतिभूत अच्छा समझा गया
 (ख) अप्रतिभूत अच्छा समझा गया
 (ग) शंकास्पद।

- (iii) डूबंत और संदेहपूर्ण उधार के लिए छूट का संबंधित शीर्षों के तहत पृथक रूप से प्रकटीकरण किया जाएगा।

- (iv) कंपनी के निदेशकों या अन्य अधिकारियों द्वारा या उनमें से कोई भी अकेले या अन्य किसी व्यक्ति के साथ सामूहिक रूप से बकाया उधार अथवा फर्मों या निजी कंपनियों जिसमें क्रमशः कोई निदेशक साझेदार है या एक निदेशक या सदस्य द्वारा बकाया राशि का अलग से उल्लेख किया जाएगा।

VI. अन्य चालू आस्तियां (प्रकृति विनिर्दिष्ट करें): यह एक सर्व समावेशी शीर्षक है उन आस्तियों की कोई अन्य श्रेणी, जो चालू आस्तियों के उपयुक्त नहीं है, को शामिल करता है। अन्य चालू आस्तियों को निम्नानुसार वर्गीकृत किया जाएगा-

- (i) पूंजी अग्रिमों के अलावा अग्रिम-

1. पूंजी अग्रिम के अलावा अग्रिमों को निम्नानुसार वर्गीकृत किया जाएगा-

- (क) प्रतिभूति जमाएं;
 (ख) संबंधित पक्षों को अग्रिम (उसका विवरण देते हुए) ;
 (ग) अन्य अग्रिम (प्रकृति विनिर्दिष्ट करें)

2. कंपनी के निदेशकों या अन्य अधिकारियों को या उनमें से कोई भी अकेले या अन्य किसी व्यक्ति के साथ सामूहिक रूप से दी गई अग्रिम राशि अथवा फर्मों या निजी कंपनियों जिसमें क्रमशः कोई निदेशक साझेदार है या एक निदेशक या सदस्य को दी गई अग्रिम राशि का अलग से उल्लेख किया जाएगा।

- (ii) अन्य (प्रकृति विनिर्दिष्ट करें)

(ग) नगदी और बैंक अधिक्य: नगदी और बैंक अधिशेषों के संबंध में निम्नलिखित प्रकटीकरण किया जाएगा-

- (क) बैंकों में अधिक्य (उदाहरण के लिए अदत्त लाभांश) का पृथक रूप से उल्लेख किया जाएगा।

(ख) उधारी, गारंटी अन्य सुपुर्दगी के विरुद्ध मार्जिन राशि या प्रतिभूति के रूप में बैंकों के पास अधिक्य का पृथक रूप से प्रकटीकरण किया जाएगा।

(ग) नगदी और बैंक अधिक्य के मामले में प्रत्यावर्तन पाबंदिया यदि कोई हो, का अलग से उल्लेख किया जाएगा।

(घ) साम्या: I. साम्या शेयर पूंजी

साम्या शेयर पूंजी की प्रत्येक श्रेणी के लिए-

- (क) प्राधिकृत शेयरों की संख्या और राशि;
- (ख) जारी, अभिदत्त और पूर्णरूप से चुकता तथा अभिदत्त परंतु पूर्णरूप से नहीं चुकता शेयरों की संख्या;
- (ग) प्रतिशेयर का अंकित मूल्य;
- (घ) इस अवधि के प्रारंभ में और अंत में बकाया शेयरों की संख्या का एक समाधान;
- (ङ) लाभांशों के वितरण और पूंजी के पुनः भुगतान पर नियंत्रण सहित शेयरों की प्रत्येक श्रेणी से संबंधित अधिकार, अधिमान और नियंत्रण;
- (च) निजी कंपनी द्वारा या मुख्य नियंत्रि कंपनी द्वारा नियंत्रि कंपनी में प्रत्येक वर्ग के शेयर जिसमें समग्र रूप से नियंत्रि कंपनी के समनुषंगी या सहायक या मुख्य नियंत्रि कंपनी के शेयर शामिल हैं;
- (छ) कंपनी में पांच प्रतिशत से अधिक शेयर रखने वाले प्रत्येक शेयर धारकों के शेयरों की संख्या विनिर्दिष्ट करना;
- (ज) विकल्प और संविदा अथवा शेयरों की बिक्री की प्रतिबद्धता अथवा विविनिधान के तहत जारी करने के लिए आरक्षित शेयर, जिसमें शर्तें एवं राशि सम्मिलित हैं।
- (झ) तुलनपत्र तैयार होने की तारीख से तुरंत पूर्व की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए:
- संविदा के अनुसार बिना नकद भुगतान के पूर्ण रूप से प्रदत्त शेयरों के रूप में आंबटित शेयरों की समग्र संख्या और वर्ग;
 - बोनस शेयर के माध्यम से पूर्ण रूप से प्रदत्त शेयर के रूप में आंबटित शेयरों की समग्र संख्या और वर्ग; और
 - वापस लाए शेयरों की कुल संख्या और वर्ग।
- (ञ) अवरोही क्रम में सबसे पुरानी तारीख से निकटतम तारीख सहित जारी की गई, किसी प्रतिभूति की अवधि जिसे साम्या शेयर में रूपांतरित किया जा सके।
- (ट) अदत्त कौल (निदेशकों और अधिकारियों द्वारा अदत्त कौल का कुल मूल्य दर्शाया गया है)
- (ठ) समपहृत शेयर (मूल रूप से प्रदत्त राशि)

II. अन्य साम्या

(i) टिप्पण में 'अन्य आरक्षित' को निम्नलिखित रूप से वर्गीकृत किया जाएगा:

(क) पूंजी प्रतिदान आरक्षित;

(ख) डिबेंचर प्रतिदान आरक्षित;

(ग) शेयर विकल्प बकाया खाता; और

(घ) अन्य (प्रत्येक आरक्षित की प्रकृति और उद्देश्य और उसमें निहित राशि बताए);

(अंतिम तुलनपत्र से प्रत्येक परिवर्धन और कटौती को प्रत्येक विनिर्दिष्ट शीर्ष के तहत दर्शाया जाना है)

(ii) प्रतिधारित आय अधिक्य दर्शाता है अर्थात् साम्या में बदलाव के विवरण में सुसंगत कॉलम का अधिक्य;

(iii) विशेष रूप से निर्धारित विनिधान का प्रतिनिधित्व करने वाले आरक्षित में इसके प्रतिनिधित्व का कारण बताया जाएगा; और

(iv) लाभ एवं हानि के विवरण में नामे शेष को 'प्रतिधारित आय' शीर्ष के तहत नकारात्मक आंकड़े के रूप में दर्शाया जाएगा। उसी प्रकार प्रतिधारित आय के ऋण शेष को समायोजित करने के पश्चात् 'अन्य साम्या' के अधिक्य, यदि कोई हो, को 'अन्य साम्या' शीर्ष के तहत दर्शाया जाएगा, भले ही इसका परिणाम आंकड़ा नकारात्मक हो।

(v) 'अन्य साम्या' उपशीर्ष के तहत, प्रत्येक मदों की प्रकृति और राशि का प्रकटीकरण किया जाएगा।

(इ) गैर चालू दायित्व

I. उधार राशियां:

(i) उधार राशियों को निम्नलिखित रूप से वर्गीकृत किया जाएगा.-

(क) बांड अथवा डिबेंचर

(ख) मियादी ऋण

I. बैंको से

II. अन्य पार्टियों से

(ग) आस्थगित भुगतान दायित्व

(घ) जमा

(ङ) संबंधित पार्टियों से ऋण

(च) वित्तीय पट्टा बाध्यता की दीर्घावधि परिपक्व

(छ) मिश्रित वित्तीय लिखतों में दायित्व घटक

(ज) अन्य ऋण (प्रकृति विनिर्दिष्ट करें)

(ii) उधार राशियों को प्रतिभूत और अप्रतिभूत रूप में उप-वर्गीकृत किया जाएगा। प्रत्येक मामले में प्रतिभूति की प्रकृति को पृथक रूप से विनिर्दिष्ट किया जाएगा।

(iii) जहां ऋण को निदेशकों या अन्यो द्वारा गारंटी प्रदान की गई हो, वहां प्रत्येक शीर्ष के तहत ऐसे ऋणों की कुल राशि का प्रकटीकरण किया जाएगा।

(iv) बांड अथवा डिबेंचर (प्रतिदान या रूपांतरण, जैसा भी मामला हो के ब्याज दर और ब्यौरे सहित) को प्रथम प्रतिदान या रूपांतरण तिथि जैसा भी मामला हो, से शुरू करते हुए परिपक्व या रूपांतरण के अवरोही क्रम में स्पष्ट किया जाएगा। यदि बांड अथवा डिबेंचर किस्तों में प्राप्त की जा सकती है तो प्रथम देय किस्त की तारीख को इसकी परिपक्वता की तारीख माना जाएगा।

(v) किसी प्रतिदेय बांड अथवा डिबेंचर के ब्यौरे जिसके लिए कंपनी के पास उसे पुनः जारी करने की शक्ति हो, का प्रकटीकरण किया जाएगा।

(vi) मियादी ऋण और अन्य ऋणों की पुनः अदायगी की शर्तों को स्पष्ट किया जाएगा और

(vii) उधार राशियों की पुनः अदायगी के लिए तुलनपत्र में दी गई तारीख की स्थिति के अनुसार चूक की अवधि एवं राशि को प्रत्येक मामले में पृथक रूप से विनिर्दिष्ट किया जाएगा।

II. उपबंध: राशि को निम्नलिखित रूप से वर्गीकृत किया जाएगा:

(क) कर्मचारियों के हित के लिए उपबंध

(ख) अन्य (प्रकृति विनिर्दिष्ट करें)

III. अन्य गैर चालू दायित्व:

(क) अग्रिम; और

(ख) अन्य (प्रकृति विनिर्दिष्ट करें)

च. चालू दायित्व**I. उधार राशियां**

(i) उधार राशियों को निम्नलिखित रूप से वर्गीकृत किया जाएगा:

(क) मांग के अनुसार प्रतिदेय ऋण

I. बैंको से

II. अन्य पार्टियों से

(ख) संबंधित पार्टियों से ऋण

(ग) जमाएं

(घ) अन्य ऋण (प्रकृति विनिर्दिष्ट करें)

(ii) उधारों के आगे प्रतिभूत और अप्रतिभूत के रूप में उपवर्गीकृत किया जाएगा। प्रतिभूति की प्रकृति को भी प्रत्येक मामले में पृथक रूप से विनिर्दिष्ट किया जाएगा।

(iii) जहां ऋणों के लिए निदेशकों या अन्य द्वारा गारंटी दी गई है तो ऐसे ऋणों की संकलित राशि को प्रत्येक शीर्ष के अंतर्गत पृथक रूप से विनिर्दिष्ट किया जाएगा।

(iv) ऋण और ब्याज के पुनर्भुगतान में तुलनपत्र की तारीख पर लगातार डिफाल्ट की रकम और उसकी अवधि प्रत्येक दशा में पृथक रूप से विनिर्दिष्ट की जाएगी।

II. अन्य वित्तीय दायित्व: अन्य वित्तीय दायित्वों को निम्नानुसार वर्गीकृत किया जाएगा.-

(क) दीर्घावधि ऋण की वर्तमान परिपक्वता;

(ख) वित्तीय पट्टा बाध्यता की वर्तमान परिपक्वता;

(ग) प्रोद्भूत ब्याज;

(घ) अदत्त लाभांश;

(ङ) प्रतिभूतियों के आबंटन के लिए प्राप्त आवेदन राशि जिसे वापस किया जा सके और उस पर प्रोद्भूत ब्याज;

(च) अदत्त परिपक्व जमा और उस पर प्रोद्भूत ब्याज; और

(ज) अन्य (प्रकृति विनिर्दिष्ट करें)

'दीर्घावधि ऋण' एक प्रकार की उधार राशि है जिसकी अवधि उसकी शुरुआत के समय 12 महीनों से अधिक हो।

III. अन्य चालू दायित्व:

इन राशियों को निम्नानुसार वर्गीकृत किया जाएगा-

(क) अग्रिम में प्राप्त राजस्व;

(ख) अन्य अग्रिम (प्रकृति स्पष्ट करें);

(ग) अन्य (प्रकृति विनिर्दिष्ट करें);

IV. उपबंध: इन राशियों को निम्नानुसार वर्गीकृत किया जाएगा:

(i) कर्मचारी हित के लिए उपबंध

(ii) अन्य (प्रकृति विनिर्दिष्ट करें)

(छ) आस्तियों का समूह जिसे बिक्री के रूप में वर्गीकृत किया गया है और गैर चालू आस्तियां जिसे बिक्री के रूप में वर्गीकृत किया गया है, के साथ जुड़े दायित्वों का प्रस्तुतीकरण सुसंगत भारतीय लेखांकन मानक (इंडिएएस) के अनुसार होगा।

(ज) आकस्मिक दायित्व और प्रतिबद्धता

(उपबंध न किए जाने की सीमा तक)

(i) आकस्मिक दायित्वों को निम्नानुसार वर्गीकृत किया जाएगा;

(क) ऋण के रूप में अभिस्वीकृत न किए गए कंपनी के विरुद्ध दावों।

(ख) वित्तीय गारंटी रहित अन्य गारंटी

(ग) अन्य राशि जिसके लिए कंपनी आकस्मिक रूप से दायी है।

(ii) प्रतिबद्धता को निम्नानुसार वर्गीकृत किया जाएगा;

(क) पूंजी लेखा पर निष्पादित किए जाने से शेष और उपबंध नहीं की गई संविदाओं की प्राक्कलित रकम

(ख) शेयरों और अन्य भागत संदत्त विनिधानों पर अनाहूत दायित्व

(ग) अन्य प्रतिबद्धताएं (प्रकृति विनिर्दिष्ट करें)

(झ) इस अवधि के लिए साम्या और अधिमानी शेयरधारकों को वितरित की जाने वाली प्रस्तावित लाभांश की राशि और प्रति शेयर संबंधित राशि को पृथक रूप से दर्शाया जाएगा। अधिमानी शेयरों पर स्थिर संचयी लाभांशों की बकाया राशि को भी पृथक रूप से दर्शाया जाएगा।

(त्र) यदि किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए तैयार की गई प्रतिभूतियों को जारी करते समय यह पाया गया कि तुलनपत्र की तारीख तक उस विशिष्ट उद्देश्य के लिए संपूर्ण राशि या उसका एक हिस्सा प्रयोग में नहीं लाया गया है तो टिप्पणी के माध्यम से यह सूचित किया जाएगा कि उस अप्रयुक्त राशि को कैसे प्रयोग में लाया गया था या उसका विनिधान कैसे किया गया।

7. यदि कोई कंपनी अनुदर्शिता से लेखांकन नीति लागू करता है या वित्तीय विवरण के मदों का पुनःवितरण तैयार करता है या जब वह कंपनी अपने वित्तीय विवरण में मदों को पुनः वर्गीकृत करता है तो कंपनी अपने तुलनपत्र में प्रस्तुत की गई सबसे पहली तुलनात्मक अवधि की शुरुआत का 'तुलनपत्र' संलग्न करेगा।

8. आबंटन के लिए लंबित शेयर आवेदन राशि को सुसंगत भारतीय लेखांकन मानक के अनुसार साम्या या दायित्व में वर्गीकृत किया जाएगा। ऐसी शेयर आवेदन राशि जिसकी वापसी नहीं की जा सकती को साम्या शीर्ष के तहत दर्शाया जाएगा और ऐसी शेयर आवेदन राशि जिसकी वापसी की जा सकती है को 'अन्य वित्तीय दायित्व' के तहत दर्शाया जाएगा।

9. अधिमान शेयर, जिसमें जारी होने पर प्राप्त प्रीमियम को सुसंगत भारतीय लेखांकन मानक की आवश्यकताओं को अनुसार साम्या या दायित्व के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। तदनुसार सुसंगत साम्या या दायित्व के वर्ग पर लागू होने संबंधी प्रकटीकरण और आवश्यक प्रस्तुतीकरण को आवश्यक परिवर्तनों सहित अधिमान शेयरों पर लागू किया जाएगा।

उदाहरणार्थ, प्रतिदेय अधिमान शेयरों को 'उधार राशि' के रूप में 'गैर चालू दायित्व' के तहत वर्गीकृत और प्रस्तुत किया जाएगा और ऐसी उधार राशियों पर लागू होने वाली प्रकटीकरण आवश्यकताओं को आवश्यक परिवर्तनों सहित प्रतिदेय अधिमान शेयरों पर लागू किया जाएगा।

10. संयुक्त वित्तीय लिखते जैसे परिवर्तनीय डिबेंचर जिसे सुसंगत भारतीय लेखांकन मानक की आवश्यकताओं के अनुसार साम्या और दायित्व घटक में विभाजित किया गया है, को संबंधित 'साम्या' और 'दायित्व' शीर्ष के तहत वर्गीकृत और प्रस्तुत किया जाएगा।

11. नियामक आस्थगित खाता शेष को संगत भारतीय लेखांकन मानक के अनुसार तुलनपत्र में प्रस्तुत किया जाएगा।

भाग-II – लाभ और हानि का विवरण

कंपनी का नाम

..... की अवधि के दौरान लाभ और हानि का विवरण

(रूप में)

	व्यक्ति	टिप्पणी संख्या	•	चालू रिपोर्टिंग अवधि के लिए आंकड़े		पूर्व रिपोर्टिंग अवधि के लिए आंकड़े
I	प्रचालन से प्राप्त राजस्व					
II	अन्य आय					

III	कुल आय (I+II)					
IV	व्यय प्रयुक्त सामग्री की लागत					
	स्टाक ईन ट्रेड की खरीद					
	तैयार माल, स्टोक-इन-ट्रेड और चालू कार्य की सूची में बदलाव					
	कर्मचारी हित व्यय					
	वित्त लागतें					
	अवमूल्यन एवं अपाकरण व्यय					
	अन्य व्यय					
	कुल व्यय (IV)					
V	असाधारण मदों और करों के पूर्व लाभ अथवा हानि (I-IV)					
VI	विशिष्ट मदें					
VII	कर के पूर्व लाभ अथवा (हानि) (V-VI)					
VIII	कर व्यय (1) वर्तमान कर (2) आस्थगित कर					
IX	निरंतर प्रचालनों की अवधि के लिए लाभ (हानि) (VII-VIII)					
X	अनिरंतर प्रचालनों से लाभ अवधि के लिए (हानि)					
XI	अनिरंतर प्रचालनों का कर व्यय					
XII	अनिरंतर प्रचालन (कर के बाद) (X-XI) से लाभ अथवा (हानि)					
XIII	(IX+XII) की अवधि के लिए लाभ अथवा (हानि)					
XIV	अन्य व्यापक आय क(i) वह मदे जिन्हें लाभ या हानि में पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाएगा (ii) उन मदों से संबंधित आय कर, जिन्हें लाभ या हानि में पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाएगा। (ख) (i) वह मदे जिन्हें लाभ या हानि में पुनः वर्गीकृत किया जाएगा (ii) उन मदों से संबंधित आयकर जिन्हें लाभ या हानि में पुनः वर्गीकृत किया जाएगा।					
XV	(XIII+XIV) की अवधि के लिए कुल व्यापक आय (जिसमें इस अवधि के लिए लाभ(हानि) और अन्य व्यापक आय सम्मिलित हों)					
XVI	प्रति साम्या शेयर आय (निरंतर प्रचालन के लिए) (1) मूलभूत (2) तरलीकृत					
XVII	प्रति साम्या शेयर आय (अनिरंतर प्रचालन के लिए) (1) मूलभूत (2) तरलीकृत					

XVIII	प्रति साम्या शेष आय (निरंतर एवं अनिरंतर प्रचालनों के लिए) (1) मूलभूत (2) तरलीकृत					
-------	--	--	--	--	--	--

वित्तीय विवरणी से संलग्न टिप्पणियों को देखें

टिप्पणी-

लाभ और हानि विवरण को तैयार करने के लिए सामान्य अनुदेश

1. इस भाग के प्रावधान आय एवं व्यय खातों पर उसी प्रकार लागू होंगे जैसे कि वह लाभ और हानि विवरण पर लागू होते हैं।

2. लाभ और हानि के विवरण में निम्नलिखित को शामिल किया जाएगा:

- (1) इस अवधि के लिए लाभ या हानि
- (2) इस अवधि के लिए अन्य व्यापक आय

'कुल व्यापक आय' उपर्युक्त (1) और (2) का योग है:

3. परिचालन से प्राप्त राजस्व को टिप्पणी में पृथक रूप से प्रकट किया जाएगा

- (क) उत्पादों की बिक्री (जिसमें उत्पाद शुल्क सम्मिलित है)
- (ख) सेवाओं का विक्रय; और
- (ग) अन्य परिचालन राजस्व;

4. वित्त लागतें: वित्त लागतों को निम्नानुसार वर्गीकृत किया जाए।

- (क) ब्याज
- (ख) लाभांश मोच्य अधिमान शेषों पर
- (ग) विनियम अंतर्गत उधार लागतों का समायोजन माना गया है।
- (घ) अन्य उधार लागतें (प्रकृति विविनिर्दिष्ट करें)

5. अन्य आय: अन्य आय निम्नानुसार वर्गीकृत की जाएगी।

- (क) ब्याज आय
- (ख) लाभांश आय
- (ग) अन्य अप्रचालन आय (निवल खर्च सीधे ऐसी आय माने जाएंगे)
- (6) अन्य व्यापक आय का वर्गीकरण निम्न में किया जाएगा -
- (क) मदें जो लाभ या हानि के रूप में पुनवर्गीकृत नहीं होंगी।
- (i) पुनमूल्यांकन अधिक्त्य में बदलाव
- (ii) परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनमापन
- (iii) साम्या लिखते अन्य व्यापक आय के जरिए;

(iv) उचित मूल्य बदलाव जो वित्तीय दायित्व के स्वयं की क्रेडिट जोखिम जो उचित मूल्य पर लाभ व हानि के जरिए होती है संबंधित है।

(v) अन्य व्यापक आय का अंश एसोशिएट और संयुक्त उद्यमों में उस सीमा तक जो लाभ या हानि के रूप में वर्गीकृत नहीं की जा सकती है।

(vi) अन्य (प्रकृति विविनिर्दिष्ट करें)

(ख) मदें जो लाभ या हानि के रूप में पुनवर्गीकृत की जाएगी

(i) विदेशी प्रचालन के वित्तीय विवरणों के अनुवाद में विनियम अंतर

(ii) ऋण लिखते अन्य व्यापक आय के लिए।

(iii) नकद बहाव **बचाव** में **बचाव** लिखित में लाभ हानि का प्रभावी भाग

(iv) अन्य व्यापक आय का हिस्सा एसोशिएट एवं संयुक्त उद्यम जो लाभ हानि की सीमा तक वर्गीकृत किया जा सके।

(v) अन्य (प्रकृति विविनिर्दिष्ट करें)

7. अतिरिक्त सूचना: कंपनी समग्र व्यय और आय के संबंध में टिप्पणी, अतिरिक्त सूचना के जरिए निम्नलिखित मदों का खुलासा करेगी-

(क) कर्मचारी फायदे व्यय (पृथक रूप से दर्शाते हुए (i) वेतन एवं मजदूरी (ii) भविष्य निधि एवं अन्य निधियों को अभिदाय (iii) कर्मचारियों के शेयर आधारित भुगतान (iv) स्टाफ कल्याण खर्चें);

(ख) अवक्षयण और क्रमिक अपाकरण व्यय;

(ग) आय या व्यय की कोई मद जो प्रचालन से प्राप्त राजस्व से 1 प्रतिशत से अधिक है या 1,00,0000 रूप है या जो भी उच्चतर हो जो सामान्य अनुदेश के खंड 7 में कंपनी के वित्तीय विवरण के तैयार करने हेतु विविनिर्दिष्ट द्रव्यता के विचारार्थ के अतिरिक्त है;

(घ) ब्याज आय'

(ङ) ब्याज व्यय;

(च) लाभांश आय;

(छ) विनिधानों की बिक्री पर निवल लाभ अथवा हानि;

(ज) निवल लाभ अथवा हानि विदेशी मुद्रा संव्यवहार और अनुवाद पर (जो वित्तीय लागत से भिन्न मानी गई है);

(झ) लेखापरीक्षक का भुगतान (क) लेखापरीक्षक (ख) करारोपण मामलों हेतु (ग) कंपनी विधि मामलों हेतु; (घ) अन्य सेवाओं हेतु (ङ) खर्चों की प्रतिपूर्ति;

(ञ) यदि कंपनी धारा 135 के अंतर्गत आती है तो कारपोरेट सामाजिक दायित्व कार्यक्रमों पर उपगत व्यय की राशि; और

(ट) असाधारण प्रकृति की मदों के व्यौरे

8. विनियामक लेखा शेष में बदलाव को संगत भारतीय लेखा मानकों के अनुसार लाभ हानि विवरण में प्रस्तुत किया जाएगा।

भाग III - समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए सामान्य अनुदेश

1. जहां कंपनी को समेकित वित्तीय विवरण तैयार करना आवश्यक है यथा समेकित तुलनपत्र, साम्या में बदलाव का समेकित विवरण और समेकित लाभ हानि विवरण, कंपनी आवश्यक परिवर्तन सहित इस अनुसूची की आवश्यकता जैसा कंपनी की तुलनपत्र, साम्या में बदलाव का विवरण और लाभ हानि विवरण के लिए आवश्यक है का अनुसरण करेगी। इसके अतिरिक्त समेकित वित्तीय विवरण में सूचना का खुलासा लागू भारतीय लेखा मानकों में विविनिर्दिष्ट आवश्यकता के अनुसार होगा जो कंपनी (भारतीय लेखा मानकों) नियम, 2015 के अंतर्गत अधिसूचित किए गए हैं जिसमें निम्नलिखित शामिल है, अर्थात्-

(i) लाभ या हानि जो गैर नियंत्रक ब्याज और मूल के स्वामी के कारण है लाभ हानि विवरण की प्रस्तुति अवधि के आबंटन के रूप में होगी इसके आगे कुल व्यापक आय जो गैर नियंत्रक ब्याज या मूल के स्वामी के कारण है की प्रस्तुति अवधि के आबंटन के रूप में लाभ हानि विवरण में होगी। पूर्व उल्लिखित खुलासे कुल व्यापक आय हेतु साम्या में बदलाव के विवरण में भी किए जाएंगे। भारतीय लेखा मानकों की आवश्यकता हेतु खुलासे के अतिरिक्त पूर्व उल्लिखित खुलासे अन्य व्यापक आय के संबंध में भी किए जाएंगे।

(ii) तुलनपत्र एवं साम्या में बदलाव, साम्या के भीतर का विवरण भी मूल के स्वामी की साम्या से पृथक रूप से प्रस्तुत किया जाएगा।

(iii) साम्या तरीके के प्रयोग हेतु विनिधानों का कारण बताना

2. समेकित वित्तीय विवरणों में निम्नलिखित अतिरिक्त सूचना के रूप में खुलासा किया जाएगा।

विदेशी								
1.								
2.								
3.								
कुल								

3. सभी सहायक, एसोशिएट और संयुक्त उद्यम (चाहे वे भारतीय या विदेशी हों) को समेकित वित्तीय विवरण में शामिल किया जाएगा।
4. निकाय, सभी सहायकों, या एसोशिएट या संयुक्त उद्यमों जिसको समेकित वित्तीय विवरण में समेकित किया जाता है की सूची भी समेकित नहीं करने के कारणों के साथ खुलासा करना होगा।

[फा. सं. 17/62/2015-सीएल.व]

अमरदीप सिंह भाटिया, संयुक्त सचिव

नोट: कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III अधिनियम स.आ. 902 अ दिनांक 26.03.2014 के जरिए दिनांक 1.4.2014 को प्रवृत्त हुआ।